कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 30/08/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 29.08.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बरेसर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 167/2025 धारा 87,137(2),65(1) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.08.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2025 धारा 87,137(2),65(1) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त धीरज चौहान पुत्र बलिराज चौहान को माटा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता –

01. धीरज चौहान पुत्र बलिराज चौहान निवासी ग्राम गौरतियरा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 167/2025 धारा 87,137(2),65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

2. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म/पॉक्सो/एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 42000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

एफआईआर की तिथि से 70 दिवस के अंदर (आरोप पत्र लगने के 57 दिवस बाद) दिलाई गई सजा।

दिनांक 29.08.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहरियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -106/25 धारा - 65(2), 351(3), 352, 331(3) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5, 3(2)5ए, 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट

से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामअवध राजभर पुत्र बनारसी राजभर निवासी सरसौली थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध करते हुए धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व15,000/-रू0 अर्थदण्ड, धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 20,000/-रू0 अर्थदण्ड, धारा 351(3) बीएनएस में 02 वर्ष का कारवास व 2,000/-रू0 के अर्थदण्ड, धारा 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2,000/-रू0 का अर्थदण्ड, धारा 331(3)बीएनएस में 01 वर्ष का कारावास व 1000/-रू0 का अर्थदण्ड, धारा 352 के तहत 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट में 01 वर्ष का कारवास व 1000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/- का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया

3. थाना सैदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 305/25 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5g/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 03 नफर बाल अपचारीगण को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक सैदपुर मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 305/25 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5g/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित 03 नफर बाल अपचारीगण को मुखबिर खास की सूचना पर थाना गेट के सामने जलपान की दुकान के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहासः

1.मु0अ0सं0 305/2025 धारा 305/25 धारा 70(2) बीएनएस व धारा 5g/6 पाक्सो एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर